न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7090–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प इंदौर–1 प्रकरण कमांक 98/बी–105/2015–16/48ख.

एं.टी.सी. टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
ऑफिस 195 ए, चतुर्थ मंजिल
संकेत डायग्नास्टिक सेंटर के ऊपर
एम.पी. नगर, जोन–1
डी.बी. मॉल के सामने, भोपाल
द्वारा नितिन भायरे पुत्र ओ.पी. शर्मा ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प–1/
उप पंजीयक, कलेक्टर कार्यालय
मोती तबेला, भोपाल ....अनावेदक

श्री आर.एस. रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 27/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प इंदौर–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महानिरीक्षक पंजीयन, म.प्र. भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में निरीक्षण दल द्वारा नगर निगम, इंदौर के स्टाम्प शुल्क संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण किये जाने पर प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में 100/– रूपये के मुद्रा पत्र पर विलेख निष्पादित पाये जाने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 98/बी–105/2015–16/48 ख दर्ज कर दिनांक 30–3–2017 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 24,725/– एवं अधिनियम की धारा 40 ख के अंतर्गत शास्ति रूपये 5000/– कुल राशि 29,725/– रूपये जमा करने के आदेश दिये

गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की खारा 33, 40 एवं 48(ख) के विपरीत अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रश्नाधीन मूल अनुबंध को बिना इम्पाउण्ड किये अधिनियम की धारा 40 व 48(ख) के अन्तर्गत दर्ज कर शास्ति/दण्ड अधिरोति नहीं किया जा सकता है ।

(2) अधिनियम की धारा 48(ख) के अंतर्गत अनुबंध के निष्पादन दिनांक से 5 वर्ष के अंतर्गत ही उक्त लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क संबंधित प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 5 वर्ष पश्चात प्रकरण दर्ज कर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक द्वारा भूमिस्वामी से भूमि के छोटे से क्षेत्रफल को एक निश्चित समयावधि के लिए मोबाईल टॉवर लगाने हेतु लीव एण्ड लायसेंस एग्रीमेंट 100/– रूपये के स्टाम्प पर विधिवत निष्पादित किया है, जिसकी अंतर्वस्तु लीज नहीं होकर लायसेंस है ।

(4) उक्त लायसेंस पर अधिनियम की अनुसूची 1–ए की धारा 6 (एच) के अंतर्गत विधिवत 100/– रूपये मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, जो कि उचित मुद्रांक शुल्क है ।

(5) प्रश्नाधीन अनुबंध वास्तव में लायसेंस अनुबंध होकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 (डी) के अंतर्गत कम्पनसेशन अनुबंध की श्रेणी में आता है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची 1–ए की धारा 6 (एच) के अधीन उचित मुद्रांक शुल्क अदा की गई है । भारत शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7–2–2002 जारी कर प्रायवेट कम्पनियों को भी टेलीग्राफ अर्थारिटी का दर्जा दिया गया है, अतः आवेदक कम्पनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत टेलीग्राफ अर्थारिटी है ।

(6) वर्तमान विवादित अनुबंध की भांति ही अनुबंध को उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ वर्षों पूर्व लायसेंस अनुबंध न मानकर लीज अनुबंध मानकर मुद्रांक शुल्क/शास्ति संबंधित टेलीकॉम कम्पनियों पर अधिरोपित की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, अलाहाबाद द्वारा रिट याचिका कमांक 42784/2006 में आदेश दिनांक 26–8–2008 द्वारा उक्त लायसेंस को लीज अनुबंध माना गया है, जिसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

एस.एल.पी. (सिविल) नम्बर 24052 / 2008 में दिनांक 20–4–2009 को अंतरिम आदेश पारित कर यह आदेश दिया गया कि संबंधित कम्पनियों से विवादित अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई पैनल्टी, डिमाण्ड आदि की रिकवरी न किया जाये । उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो रिकार्ड पर संलग्न है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से आदेश पारित नहीं कर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश दिनांक 13–1–2015 एवं 19–1–2015 के पालन में प्रकरण दर्ज कर अनुबंध लायसेंस को लीज मानकर शास्ति अधिरोपित की गई है, जो कि अवैध है । आवेदक (पूर्व में नाम व्योम नेटवर्क्स लि.) द्वारा प्रमुख सचिव के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 3234 / 2016 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17–2–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और अभी विचाराधीन है ।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पक्षकारों से नहीं ली गई है और बिना साक्ष्य लिये विधि विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अवैध है ।

(9) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिनियम, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम एवं म.प्र. नगर पालिका (सेल्यूलर मोबाईल फोन सर्विस के लिए अस्थायी टॉवर / स्ट्रक्चर के स्थापना) नियम, 2002 के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(10) मोबाईल टॉवर लगाने के लिए लायसेंस पर लिये गये भूमि / मकान की छत के कुछ क्षेत्रफल पर लायसेंस पर लिये जाने से आवेदक कम्पनी का उक्त क्षेत्रफल में स्वामित्व / अधिकार नहीं रहता है, बल्कि उक्त क्षेत्रफल को उपयोग (परमीशन टू यूज) करने की अनुज्ञप्ति रही है । ऐसी स्थिति में विवादित अनुबंध लीज न होकर मात्र लायसेंस अनुबंध है, जिस पर रूपये 100 / – मुद्रांक शुल्क विधिवत रूप से अदा की गई है ।

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 345 पंडित चुनचुन झा विरूद्ध शेख इबादत अली में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अनुबंध के पक्षकारों के मध्य की मंशा समझी जा सकती है । ऐसी स्थिति में विवादित अनुबंध में अनुबंध के क्लाज से स्पष्ट है कि वह मात्र लायसेंस अनुबंध है, न कि लीज, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक को कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि आवेदक द्वारा कर अपवंचन किया गया था, इसलिए आवेदक पर शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज से आवेदक को मोबाईल टॉवर लगाने के लिए 12,500/– रूपये प्रतिमाह की दर से, पंद्रह वर्ष के लिए आवेदक के पक्ष में 100/– रूपये के मुद्रा पत्र पर दस्तावेज निष्पादित हुआ है । प्रश्नाधीन दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त दस्तावेज लीज की श्रेणी में आता है, भले ही दस्तावेज के शीर्षक में लायसेंस अनुबंध अंकित किया गया हो । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेज की अंतवस्तु को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33(क) (चार) के अनुसार कमी मुद्रांक शुल्क 24,725/– रूपये अवधारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । चूंकि आवेदक द्वारा कर अपवंचन किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत 5000/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर कुल रूपये 29,725/– जमा करने के आदेश देने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, इंदौर–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर